"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

भाग 3 (1)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र./उपक/परि./2010/3.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बिरकोना पंजीयन क्रमांक 374 जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में समिति द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, समिति द्वारा समिति संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में समिति द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना इत्यादि से समिति की अकार्यशीलता प्रदर्शित होने से समिति को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 395/11-01-2010 व 441/16-02-2010 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी समिति द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः एम. के. ध्रुव, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/05-01-1999 पन्द्रह डी दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बिरकोना पंजीयन क्रमांक 374 को इस आदेश दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीलम जोगी पद स.वि.अ. कवर्धा को तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिरकोना पंजीयन क्रमांक 374 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 05-04-2010 को जारी किया गया है.

एम. के. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 5 मार्च 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/344.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/959/बिलासपुर, दिनांक 8-5-08 के तहत उपभोक्ता सहकारी भंडार सहकारी समिति मर्यादित, कोमी बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 1093, दिनांक 20-9-63 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्रीमती शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 5-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/403.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/764/बिलासपुर, दिनांक 20-6-06 के तहत आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्यादित, तेलसरा, पंजीयन क्रमांक 3848, दिनांक 10-3-97 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री के. ए. खान सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/404.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-6-95 के तहत फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, अमेरी अकबरी, पंजीयन क्रमांक 3110, दिनांक 23-3-80 विकासखण्ड जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री के. ए. खान सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/405.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/344/बिलासपुर, दिनांक 7-3-07 के तहत रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, अमेरी कापा, पंजीयन क्रमांक 3797, दिनांक 1-10-96 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री के. ए. खान सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.